

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौल

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>01 <sup>9</sup>/<sub>25</sub></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। बार - बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी जारी एवं उनके अधिकारों का अपमान हुआ।          आर: मु० नं० 209/2019 उनवानी विद्या बन्धन रामनिवास वगै० राग बाबत व्योपणा खोले गयी इन्हाज उरुस्ती भूमि विभाजन क स्याई निबेव्यारा अरम पैरबी अरम हाबिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तम्हील नं. से कम गी जाकर राखिल रफतार हो।          आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी          हिण्डौल (विशेष न्यायाधीश)</p>